# <u>कार्य के निर्वहन के लिए मानक</u>

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग देश के विभिन्न भागों में उद्योगों को बढ़ावा देने और विकास करने के मामलों में और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने हेतु भारत सरकार के कार्य आबंटन नियम 1961 के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करता है। यह विभाग समय-समय पर यथासंशोधित आई डी आर अधिनियम, 1951 के नियमों का अनुसरण करता है।

कार्यों के निर्वहन करने संबंधी मानक केन्द्रीय सरकार में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हैं। तथापि कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल में समय सीमा दी गई है और अनिवार्य जांचों के अलावा समय-सारणी का पालन भी किया जाता है।